आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा, प्रारूप एवं शर्त्ते।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर आयोजित होनेवाली सभी परीक्षाओं के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु वातानुकूलित/गैर वातानुकूलित वाहनों की आवश्यकता होती है। इस निमित्त निम्नांकित शर्त्तो के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर बन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय अगल–अलग लिफाफे में) आमंत्रित किए जाते हैं–

1. भाड़े का वाहन परीक्षा के लिए प्रतिघंटा/कि0मी0 की दर पर (ईधन, चालक एवं अन्य अनुमान्य कटौतियों यथा आयकर, जी0एस0टी0 इत्यादि सहित) लिया जाएगा एवं वाहन का **व्यावसायिक निबंधन** अनिवार्य है।
2. एजेंसी/वाहन मालिक के पास GST निबंधन तथा PAN का होना आवश्यक है।
3. वाहन का किराया सभी कर एवं कटौती सहित संलग्न प्रारूप में देना है।
4. भाड़े के वाहन का रख–रखाव का दायित्व वाहन मालिक/एजेंसी का होगा एवं चालक के पास सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा।
5. हवाई अडडा् पर पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन मालिक/एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
6. कार्य अवधि/ड्यूटी के दौरान वाहन में किसी प्रकार की क्षति, दुर्घटना एवं चालक को किसी प्रकार क्षति/हानि होने पर उसकी सारी जिम्मेवारी वाहन मालिक/एजेंसी होगा।
7. चालक अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह से तैयार और अच्छा व्यवहार करेगा।
8. चालक गुटका, पान, तम्बाकू इत्यादि सहित किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ड्यूटी के दौरान नहीं करेगा।
9. ड्यूटी के दौरान पदाधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वाहन/एजेंसी मालिक चालक को समय समय पर निदेशित करते रहेंगे। किसी प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार पाये जाने पर ड्राइवर एवं वाहन/एजेंसी मालिक पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।
10. आवश्यकतानुसार वाहन अल्प सूचना पर भी ससमय उपलब्ध कराना होगा।
11. किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. निर्धारित तिथि को ससमय मांग के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित वाहन मालिक/एजेंसी के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
13. परीक्षा संबंधी कार्यो में उपर्युक्त वाहनों में किसी प्रकार के कठिनाई/खराब होने की स्थिति में उसके बदले अविलम्ब वैकल्पिक वाहन, जो 05 (पॉच) साल से पुरानी नहीं हो, की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त किराया नहीं दिया जाएगा।

14. वाहन से संबंधित कागजात यथा टैक्स/बीमा/प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक/एजेंसी का होगा।

15. इच्छुक वाहन मालिक/एजेंसी द्वारा उनके काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान, अभिश्रव उपलब्ध कराने पर किया जाएगा।

17. निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्वतः अभिप्रमाणित होनी चाहिए तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि संलग्न सभी अभिलेख सही है।

18. वाहन मालिक/एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम में वाहन आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

19. वाहन मालिक/एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षो का दाखिल किए गए आयकर रिर्टन से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

20. निविदा के साथ **25000/–(पच्चीस हजार) रूपया** मात्र **बैक ड्राफ्ट** जो **आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के नाम से भुगतेय** हो, संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदा दाताओं को उक्त राशि को लौटा दिया जाएगा।

21. इच्छुक वाहन मालिक/एजेंसी सभी वांछित अभिलेख सहित कम्प्युटर टंकित आवेदन **निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर** आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में मुहरबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफे मे होनी चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वित्तीय निविदा तथा निविदा दाता का नाम अंकित होना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा। इस लिफाफे पर भी निविदा दाता का नाम एवं उदेश्य अंकित होना चाहिए।

22. प्राप्त सभी निविदा को **दिनांक** 18-08-2023 **को अपराह्न** 3:00 **बजे तक** आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के सभा–कक्ष में गठित निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें वाहन/एजेंसी मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेंसी/वाहन मालिक निविदा खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूलप्रति साथ लायेंगे तथा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूलप्रति के साथ किया जा सके।

23. तकनीकी निविदा में सफल होनेवाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

24. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सुरक्षित रहेगा। अगर सेवा अनुकूल/संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो उस एजेंसी/वाहन मालिक को काली सूची में डाला जा सकता है।

25. निविदा में जिस एजेंसी/वाहन मालिक का वाहन का दर न्युनतम होगा। उसे हीं वाहन आपूर्ति करने का आदेश दिया जाएगा, साथ ही कार्यादेश की निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना होगा। एक वर्ष के बाद सेवा संतोषप्रद रहने पर दोनों पक्षों की सहमति से एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जाएगा।

26/7/23

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

विहित प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

क0 सं0	वाहन का प्रकार		दर (राशि रूपया में) ईधन, चालक, रख–रखाव एव अनुमान्य सभी कर सहित				
			06 घंटा/ (60 कि0मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	12 घंटा/ (120 कि0मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	14 घंटा/ (140 कि0मी0) दर प्रतिदिन (चालक, ईधन एवं सभी कर सहित)	अतिरिक्त प्रति कि0मी0 का दर	अतिरिक्त प्रति घंटा का दर
1.	Swift Dzire / /Tata Indigo, Zest/Honda Amaze/Baleno	AC					
2.	Bolero/Bolero neo/Xylo	AC					
3.	Scorpio	AC					
4.	Tata Safari Storme	AC					
5.	Toyota Innova	AC					
6.	Toyota Innova Crysta	AC					

हल्का माल वाहक

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार		दर प्रतिदिन ईधन सहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित)
1.	हल्का माल वाहक सकलयान **(पीकअप भान)**	Non AC	

नोट :– तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची :–

1. आवेदन
2. PAN
3. GST
3. काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र (मूल में)।
4. संलग्न अभिलेख की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र (मूल में)।
5. 25000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

निविदा दाता का नाम/एजेंसी का नाम–